

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ज्योतिनगर, जयपुर
दूरभाष नं० 0141-2740735 ईमेल jdp1-ta-rj@nic.in

क्रमांक-एफ-2(ग) कैडर रिव्यू/अलेसे-1/2019-20/704

दिनांक-16/12/19

परिपत्र

विषय-राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी-
ग्रेड-प्रथम/ग्रेड-द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार के पदों के मिलान के
सम्बन्ध में।

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग यथा: सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम/ग्रेड-द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इन कार्मिकों का पदस्थापन राज्य के विभिन्न विभागों / कार्यालयों में उन पदों पर किया जाता है, जो सम्बन्धित विभागों द्वारा बीएफसी में निर्धारित प्रक्रियानुसार सृजित कराये गये हैं।

कतिपय मामलों में इस निदेशालय के ध्यान में आया है कि निदेशालय में उपलब्ध राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के स्वीकृत पदों सम्बन्धी सूचना तथा विभागों में वास्तविक रूप से उपलब्ध पदों में अन्तर आ रहा है। इसका प्रमुख कारण यह प्रतीत हो रहा है कि विभागों द्वारा जिन नवीन पदों का सृजन कराया जाता है अथवा पूर्व में उपलब्ध पदों को समाप्त कराया जाता है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति इस निदेशालय को पृष्ठांकित नहीं की जाती है, जिससे यथास्थिति नवीन पदों को जोड़े जाने अथवा समाप्त किये गये पदों की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पाती है, परिणामतः निदेशालय द्वारा कैडर में सम्बन्धित विभागों हेतु दर्शाए जाने वाले पदों में और वास्तविक रूप से उपलब्ध पदों में विभिन्न स्तरों पर भिन्नता बनी रहती है।

समस्त विभागाध्यक्षगण/मुख्य कार्यकारी अधिकारी- सम्बन्धित राजकीय उपक्रम / बोर्ड / न्यास / निकाय / प्राधिकरण / निगम आदि से निवेदन है कि दिनांक 01.04.2016 की स्थिति और इसके पश्चात् नवीन जुड़े अथवा समाप्त हुए पदों के आधार पर विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों में उपलब्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम/ग्रेड-द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार के नवीनतम स्वीकृत पद, कार्यरत कार्मिकों के नाम, लिंक नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं रिक्त पदों के संवर्गवार विवरण एवं समस्त सम्बन्धित सक्षम स्वीकृतियों की प्रतियों सहित निदेशालय में पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में भिजवाने का श्रम करावे ताकि सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड-प्रथम/ग्रेड-द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार के पदों को अधीनस्थ लेखा संवर्ग में जोड़ा व घटाया जा सके एवं निदेशालय एवं विभागों की सूचनाओं में एकरूपता स्थापित की जा सके।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक
दिनांक-

क्रमांक-एफ-2(ग) कैडर रिव्यू/अलेसे-1/704

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान
3. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (समस्त विभाग/बोर्ड / कारपोरेशन/निकाय/सोसायटी/न्यास/राजकीय लोक उपक्रम/उद्यम आदि)
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय
5. संयुक्त निदेशक(प्रशासन) कार्यालय हाजा
6. उपनिदेशक(एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)